

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, भंडारीदह

शाखा के अधिवक्ता ने वकालतनामा के साथ श्री अश्वनु मांझी

पिता अदन मांझी

ग्राम चीकरीह

पोस्ट भंडारीदह

थाना चन्द्रपुरा

जिला - बोकारो के विरुद्ध मो०

6090:00 रुपये को अधिवाचना पत्र देकर प्रमाण-पत्र मुकदमा दायर किया है,

जिसका आलोचना किया है।

अधिवाचना पत्र के साथ आवश्यक कोर्ट की लेखा - विवरणी एवं पी० डी० आर० एक्ट के अन्तर्गत वसूली हेतु एकरारनामा सह कोर्ट की 1000:00 रुपये का दाखिल किया गया है। अतः देनदार के विरुद्ध उक्त कानून की धारा (7) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत करें।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

वे(अ)

/ नज़ारत के माध्यम से नोटिस तामिल करारें।

अभिलेखा दिनांक

16.2.81

को मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

लेखापति

निसाम पत्र पदा० बेरमो

निसाम पत्र पदा०, बेरमो

आधुनिक लोकारी के आदेश शाखांक 280/स्वा० दिनांक 8/5/2006
आधुनिक लोकारी के आदेश शाखांक 280/स्वा० दिनांक 8/5/2006

8/3/17

दैनिक वी और वी लीड क्लब के वरु
द्वारा पत्रिका मुद्रण संख्या 10000 का
प्रकाश-पत्र दिया गया है।

दैनिक के द्वारा 30 (तीस) लाख
एक सैकड़ रुपये का बिल दिया गया है।
सदस्यता कार्ड की कार्रवाई अंदर
ही जारी है।

निष्कर्ष
बनीला पत्र पत्रिका
प्रकाश